HRA Sazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART.II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2554] No. 2554] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 22, 2010/पौष 1, 1932

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2010/PAUSHA 1, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2010

का.आ. 3016(अ).—यतः, मै. उप्पल हाउसिंग लिमिटेड, जो उत्तर प्रदेश राज्य में एक निजी संगठन है, ने उत्तर प्रदेश राज्य में नोलेज पार्क-V, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर में इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर एवं सोफ्टवेयर सिंहत सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और यत:, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन एवं रखरखाव हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 15 फरवरी, 2008 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;

अत: अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्निलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्र को उपर्युक्त स्थान पर विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात :—

Diam'r.		
ता	लका	

स्थान का नाम	सर्वेक्षण/प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
नोलेज पार्क- V	8	10.5242

और यत:, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थात:—

- 1. विशेष आर्थिक जोन का विकास आयुक्त
- -अध्यक्ष, पदेन

-सदस्य, पदेन

- निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग या उसका नामिती जिसका स्तर अवर सचिव, भारत सरकार से कम नहीं होगा
- विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाला क्षेत्रीय संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक
- —सदस्य, पदेन

—सदस्य, पदेन

4. विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमा-शुल्क आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा 5. विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय -सदस्य, पदेन क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा उसका नामिती जिसका स्तर संयक्त आयक्त से कम नहीं होगा 6. निदेशक (बैंकिंग), वित्त मंत्रालय, सदस्य, पदेन बैंकिंग प्रभाग, भारत सरकार 7. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित किए -सदस्य, पदेन जाने वाले दो अधिकारी जिनका स्तर संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा 8. मै. उप्पल हाउसिंग लिमिटेड विशेष (जोन के विकासकर्ता) का प्रतिनिधि आमंत्रिती

और यत: विशोध आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 53 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2010 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है जिस तारीख से उपर्युक्त विशोष आर्थिक जोन को सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के अंतर्गत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो माना जाएगा।

[फा. सं. एफ. 1/191/2007-एसईजेड] अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Commerce) NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2010

S.O. 3016(E).—Whereas, M/s. Uppal Housing Limited a private organization in the State of Uttar Pradesh has proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a sector specific Special Economic Zone for electronic hardware and software including information technology and information technology enabled services at Knowledge Park-V, Greater Noida, District Gautam Budh Nagar in the State of Uttar Pradesh;

And whereas, the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of Section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of Section 3 of the said Act for development, operation and maintenance of the above sector specific Special Economic Zone on 15th February, 2008;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005, and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, hereby notifies the following area at above location with survey numbers given below in the table, as a Special Economic Zone, namely:—

TABLE

IADLA		
Name of the	Survey/Plot	Area (in
Location	Number	hectares
(1)	(2)	(3)
Knowlegde Park-V	8	10.5242

And therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the above Special Economic Zone for the purposes of Section 14 of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely:—

- Development Commissioner of the Special Economic Zone
 Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and

 —Chairperson ex officio
 —Member, ex officio
- to the Government of India,
 Ministry of Commerce and
 Industry, Department of
 Commerce or his nominee not
 below the rank of Under Secretary
 to the Government of India
- 3. Zonal Joint Director General of —Member, Foreign Trade, having ex officio territorial jurisdiction over the Special Economic Zone
- 4. Commissioner of Customs or
 Central Excise having territorial
 jurisdiction over the Special
 Economic Zone or his nominee
 not below the rank of Joint
 Commissioner

 —Member,
 ex officio
- 5. Commissioner of Income Tax
 having territorial jurisdiction
 over the Special Economic Zone
 or his nominee not below the rank
 of Joint Commissioner
- 6. Director (Banking) in the Ministry
 of Finance, Banking Division,
 Government of India

 —Member,
 ex officio
- 7. Two Officers, not below the rank of Joint Secretary, to be nominated by the Government of Uttar Pradesh
- 8. Representative of M/s. Uppal —Special Housing Limited Invitee (Developer of the Zone)

And, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 53 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby appoints the 22nd day of December, 2010 as the date from which the above Special Economic Zone shall be deemed to be Inland Container Depot under Section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. F. 1/191/2007-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.